प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 2906/1999

लखमू

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-

श्री एल. सी. भादू

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र मिश्रा

सही /-

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 1 सितंबर 2006 को नियत किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 2906/1999

लखमू

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित :–

अपीलार्थी के लिए: श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता

उत्तरवादी के लिए: श्री यू. एन. एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, सह श्री एम. पी. एस. भाटिया, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ

माननीय न्यायाधीश श्री एल. सी. भादू

तथा

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र मिश्रा

आदेश

1 सितंबर 2006 को पारित

एल. सी. भादू, न्यायाधीश के अनुसार

1. यह अपील, माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 122/99 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश दिनांक 17 अगस्त 1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त /अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत बड्डा की हत्या करने का दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास एवं ₹1,000/– का

अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा न करने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.1999 की संध्या को अभियुक्त /अपीलार्थी, मृतक बड्डा एवं उसकी माता मिटकी बाई के साथ ग्राम झिटकापारा के ग्राम मेले में गया था, किंतु मृतक से पहले ही अभियुक्त /अपीलार्थी ग्राम मेला से वापस लौट आया। अभियुक्त /अपीलार्थी ने मृतक को उसके लिए चना लाने के लिए पैसे दिए। जब मृतक बड्डा घर लौटा, तो उसने अपनी माँ को सूचना देकर अभियुक्त /अपीलार्थी के घर चना देने गया। जब मृतक ने चना दिया, तो अभियुक्त /अपीलार्थी ने मृतक से पूछा कि उसने उसका चना क्यों खा लिया, जिससे दोनों के बीच वाद–विवाद हुआ और अभियुक्त /अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी उठाया और बड्डा के सिर पर प्रहार किया, जिससे बड्डा को संघातिक चोंटें आई, वह जमीन पर गिर गया और चोंटों से उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त /अपीलार्थी कुल्हाड़ी को फेंककर घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना को मृतक की माता मिटकी बाई (अ. सा–4) तथा पोयामी हडमो (अ.सा–3) ने भी देखा। उसी रात मृतक का पिता जगरा (अ.सा–1) जब घर लौटा, तो मिटकी बाई ने उसे घटना की जानकारी दी, जिस पर ग्राम कोटवार को सूचना दी गई और अगले दिन सुबह फ्रेजरपुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना प्रभारी फ्रेजरपुर द्वारा धारा 302 भा. दं. सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–1) दर्ज कर, घटनास्थल पर जाकर मृतक बड्डा के शव का पंचनामा (प्रदर्श.पी–5) तैयार किया। घटनास्थल से खून अलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, अपराध में उपयुक्त हथियार (कुल्हाड़ी) एवं एक प्लास्टिक बैग, विवेचना अधिकारी द्वारा (प्रदर्श पी –6) द्वारा कब्जे में लिया गया। मृतक बड्डा के शव को पोस्टमार्टम हेतु शासकीय अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. के. विनय कुमार (अ.सा–5) द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) दी गई, जिसमें उन्होंने राय व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण सिर पर गंभीर चोट के कारण कोमा में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. सामान्य विवेचना उपरांत अभियुक्त /अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग–पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने विद्वान सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को उपार्पित कर दिया और जहा से प्रकरण माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को स्थानांतरण पर विचारण हेतु प्राप्त हुआ। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्त /अपीलार्थी के आरोप को प्रमाणित किये जाने हेतु कुल 7 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त /अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में अपने विरुद्ध आए तथ्यों से इंकार किया है तथा कथन किया है कि वह निर्दोष है तथा उसे अपराध में झूठा फँसाया गया है।

4. माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क सुनने के उपरांत अभियुक्त /अपीलार्थी को पैरा–1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने श्री सचिन सिंह राजपूत, अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं राज्य /उत्तरवादी के पैनल अधिवक्ता श्री एम०पी० एस० को सुना गया ।

6. मृतक बड्डा की हत्या के संबंधित अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा हत्यात्मक मृत्यु को खंडन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्तहमने , मृतक पर पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. के. विनय कुमार (अ.सा–5) के चिकित्सकीय साक्ष्य एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मिटकी बाई (अ.सा–4) एवं पोयामी हडमो (अ.सा–3) की दृष्टिगोचर साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मृतक बड्डा की मृत्यु हत्यात्मक थी।

7. जहा तक अभियुक्त /अपीलार्थी के प्रश्नगत अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, अभियुक्त की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अ.सा–3 पोयामी हडमो एवं अ.सा–4 मिटकी बाई के साक्ष्य पर आधारित है। अ.सा.–4 मिटकी बाई ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना वाले

दिन को वह अपने पुत्र बड्डा एवं पुत्री बुडकी के साथ ग्राम मेले को देखने गई थी। अभियुक्त भी ग्राम मेला देखने गया था, परंतु वह उनसे पहले अपने घर लौट आया। अभियुक्त ने उसके पुत्र को चना खरीदने के लिए कहा और जब वे अपने घर लौटे, तब उसका पुत्र बड्डा अभियुक्त – लखमु के घर चना देने गया। जब उसने अभियुक्त को चना दिया, तब अभियुक्त ने उससे पूछा कि उसने उसका चना क्यों खा लिया, इसके पश्चात् उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त ने उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा, जिसे उसने (मिटकी बाई) अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अभियुक्त लखु घटनास्थल से भाग गया। उसी समय अ.सा–3 पोयामी हडमो दौड़ते हुए उनके पास आया और रात को जब उसका पति लौटा, तो उसने उसे इस घटना की जानकारी दी। अ.सा–3 पोयामी हडमो ने भी उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की और कहा कि अभियुक्त ने मृतक बड्डा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि अ.सा–4 ने कहा कि पोयामी हडमो घटनास्थल की ओर दौड़ते हुए आया, जबकि अ.सा–3 पोयामी हडमो ने अपने साक्ष्य में कहा कि रात लगभग 8 बजे वह अपने निवास पर था, अभियुक्त मृतक पर हमला करने के बाद भाग रहा था और फिर वह घटनास्थल पर गया। अतः दोनों साक्षियों के साक्ष्य में पोयामी हडमो (अ.सा–3) की घटनास्थल पर उपस्थिति को लेकर विरोधाभास है।

9. हमने इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया है, प्रारंभिक दृष्टि में, जैसा कि अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया है, इन दोनों साक्षियों के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि अ.सा–4 मिटकी बाई ने कहा है कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया तब अ.सा–3 उसकी ओर दौड़ा और यही बात अ.सा–3 ने भी कही है कि उसने देखा कि अभियुक्त /अपीलार्थी मृतक पर हमला करने के बाद भाग रहा था। उसने यह नहीं कहा कि वह घटनास्थल पर पहले से ही उपस्थित था। अतः हम अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क में कोई दम नहीं पाते। वैसे भी अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता अ.सा–4 मिटकी बाई, जो

मृतक की मां है, के साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावी रूप से चुनौती नहीं दे पाए हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रश्नगत घटना को अपनी आंखों से देखा। अतः इस प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के आलोक में, अभियुक्त /अपीलार्थी की अपराध में संलिप्तता सिद्ध होती है और इस दृष्टि से हमें विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या दौर्बल्यता नहीं प्रतीत होता।

10. अभियुक्त /अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि यदि अभियोजन के प्रकरण को जैसा है वैसा स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी अभियोजन अभियुक्त /अपीलार्थी के विरुद्ध यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि उसने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध किया है। उन्होंने आगे कहा कि साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जब मृतक ने अभियुक्त /अपीलार्थी का चना खा लिया, तब उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और बिना किसी पूर्व योजना के, अचानक गुस्से में आकर अभियुक्त ने कुल्हाड़ी उठाकर मृतक पर हमला किया, अतः अभियुक्त /अपीलार्थी का प्रकरण धारा 300 भारतीय दंड संहिता की अपवाद–4 के अंतर्गत आता है। अतः अभियुक्त /अपीलार्थी पर आरोप धारा 304 भाग–II भारतीय दंड संहिता से अधिक नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

12. धारा 300 भारतीय दंड संहिता की अपवाद–4 को आकर्षित करने के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि अपराध बिना किसी पूर्व योजना के, अचानक झगड़े में, आवेग में, अचानक झगड़े के दौरान किया गया था और अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया तथा उसने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर 2006 एस.सी 107 में प्रकाशित के प्रकरण में कहा है कि "धारा 300, भारतीय दंड संहिता का अपवाद–4 अचानक झगड़े में की गई क्रिया को आच्छादित करती है। यह अपवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें पूर्व योजना का अभाव होता है और यह आवेग में किया गया कार्य होता है, जो व्यक्ति की विवेकशीलता को दबा देता है और उन्हें ऐसे कार्य करने को प्रेरित करता है जो सामान्यतः वे नहीं करते। इस अपवाद में, झगड़ा कैसे शुरू हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद की क्रिया दोनों पक्षों को बराबर दोषी

बना देती है। 'अचानक झगड़ा' का तात्पर्य है कि दोनों ओर से प्रकोपन एवं प्रहार हुए हों, इस स्थिति में हत्या एकतरफा प्रकोपन से नहीं की गई होती। झगड़ा अचानक शुरू होता है, जिसमें दोनों पक्ष कम या अधिक दोषी होते हैं। हो सकता है कि एक पक्ष ने झगड़ा शुरू किया हो, परंतु यदि दूसरा पक्ष उसे और अधिक नहीं बढ़ाता, तो मामला इतना गंभीर नहीं होता। तब यह आपसी प्रकोपन और उकसावे की स्थिति होती है, और यह तय करना कठिन होता है कि किसका दोष कितना है। झगड़े के लिए दो पक्ष चाहिए होते हैं। 'आवेग की स्थिति' का तात्पर्य यह है कि भावनाएं ठंडी पड़ने के लिए कोई समय नहीं होता। अतः अपवाद–4 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ हो।

13. उपर्युक्त सिद्धांत पर यदि वर्तमान प्रकरण के साक्ष्य का परीक्षण किया जाए, तो अ.सा–3 पोयामी हडमो के अनुसार जब मृतक अभियुक्त के घर चना देने गया, तब अभियुक्त ने पूछा कि उसने उसका चना क्यों खा लिया, जिस पर उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त ने अचानक बिना किसी पूर्व योजना के कुल्हाड़ी उठाकर मृतक के सिर पर प्रहार किया और घटनास्थल से भाग गया। यह दर्शाता है कि सबसे पहले चना मृतक द्वारा खाया गया, फिर कहासुनी हुई, जिससे अभियुक्त क्रोधित हो गया और गुस्से में उसने अपना विवेक खो दिया और कुल्हाड़ी उठाकर हमला किया और भाग गया। अतः अभियुक्त का कृत्य बिना पूर्व योजना का था और उसका कृत्य न तो क्रूर था और न ही असामान्य। अतः हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी का प्रकरण धारा 300 की अपवाद–4 के अंतर्गत आता है, अतः अभियुक्त /अपीलार्थी पर आरोप धारा 304 भाग–II भारतीय दंड संहिता से अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि दोनों के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी और अभियुक्त /अपीलार्थी ने चना लाने के लिए मृतक को पैसे दिए थे, उनके संबंध अच्छे थे, परंतु घटना के समय एक छोटे से बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त ने अचानक कुल्हाड़ी उठाकर मृतक पर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के निष्कर्ष कि सीमा तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं थे, अतः अपील आंशिक रूप से सफल होती है। अभियुक्त /अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंड को अपास्त किया जाता है और इसके स्थान पर अभियुक्त /अपीलार्थी को धारा 304 भाग–II भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्षों के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। अभियुक्त /अपीलार्थी, जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 31.01.1999 से हिरासत में है, इस प्रकार वह पहले ही निर्धारित दंड पूरी कर चुका है, अतः यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

श्री एल. सी. भादू

न्यायाधीश

सही/–

श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By K.RADHIKA